भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

# वार्षिक प्रतिवेदन

# ANNUAL REPORT
# 2006-2007

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

SARDAR SAROVAR CONSTRUCTION ADVISORY COMMITTEE

वडोदरा

VADODARA

# प्राक्कथन

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी.) का गठन सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I (बाँध एवं आनुषंगिक कार्य) तथा यूनिट-III (जल विद्युत कार्य) के कार्यो को कुशलता, मितिव्ययता तथा समय पर निष्पादित करने की दृष्टि से किया गया था ।एस.एस.सी.ए.सी. कार्यालय 1980 में कार्य प्रारम्भ करने के बाद से ही प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है ।इस वार्षिक रिपोर्ट में कार्यालय के कार्यो की झलक, इसका संविधान, इसके कार्यक्षेत्र तथा सचिवालय की विभिन्न गतिविधियॉं एवं वर्ष 2006-07 में विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

परियोजना के यूनिट-I घटक के अन्तर्गत मुख्य बाँध का निर्माणकार्य शामिल है जिसका कार्य अप्रैल 1987 में शुरू हुआ एवं फरवरी 1990 में एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम (आर.आई.एस.) के अनुसार यह कार्य वर्ष 1998 तक पूरा करने का कार्यक्रम था।

दुर्भाग्यवश, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण मुख्य बाँध के स्पिलवे भाग का कार्य काफी समय तक लम्बित रहा ।यद्यपि, परियोजना के पक्ष में न्यायालय के अंतिम निर्णयानुसार यह रुकावट अक्तूबर 2000 में हटी फिर भी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) का कार्य संतोषजनक न होने के कारण वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो सकी । स्पिलवे भाग की ऊँचाई जून 2004 अंत तक 110.64 मीटर पूर्ण होने के बाद परियोजना से आंशिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन का लाभ ले पाना संभव हो सका ।

बॉंध के स्पिलवे भाग की ऊँचाई 110.64 मीटर से 121.92 मीटर तक अनुमोदित अभिकल्प के अनुसार आगे बढ़ाने की अनुमति नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास उपदल एवं पर्यावरणीय उपदल एवं सभी साझेदार राज्यों द्वारा आश्वासन देने के बाद 8 मार्च 2006 को दी गई ।नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद दिसम्बर 2006 में बॉंध की ऊँचाई 121.92 मीटर तक बढ़ा दी गई एवं दोनो विद्युत गृहों से पर्याप्त बिजली का उत्पादन किया जाना शुरू हुआ ।

परियोजना के यूनिट -III के अन्तर्गत नहर शीर्ष विद्युतगृह (सी.एच.पी.एच.) तथा भूमिगत नदी तल विद्युतगृह (आर.बी.पी.एच.) के निर्माण कार्य आते है ं। सी.एच.पी.एच. के सभी कार्य जनवरी 1998 में पूर्ण हो चुके थे, तथापि बाँध की ऊँचाई 110.64 मी. होने के पश्चात ही विद्युत उत्पादन संभव हो सका । सी.एच.पी.एच. की सभी पाँचो यूनिटें अगस्त 2004 से दिसम्बर 2004 के बीच सफलतापूर्वक कमीशन कर दिये गये । 1200 मेगावाट भुमिगत नदी तल विद्युतगृह के सभी सिविल एवं विघुत कार्य पूरे हो चुके हैं एवं आर.बी.पी.एच. के पहले से छठे यूनिटों की कमीशनिंग क्रमशः फरवरी 2005, अप्रैल 2005, अगस्त 2005, अक्तूबर 2005, मार्च 2006 एवं जून 2006 मे हो गई है । वर्ष 2006-07 में 3538.513 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन परियोजना के दोनो विद्युतगृहों से हुआ ।

अपने नियमित कार्यो के साथ-साथ एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट -III की अर्द्धवार्षिक वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता आ रहा है ।

(निर्मल जोत सिंह)
सचिव

दिनांकः दिसम्बर 2007 सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

# विषय सूची


| क्रम संख्या | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **1.0** | **प्रस्तावना** | 7 |
| 1.1 | पृष्ठभूमि | 7 |
| 1.2 | गठन | 8 |
| 1.3 | कार्य क्षेत्र | 9 |
| 1.4 | मुख्यालय एवं सचिवालय | 10 |
| 1.5 | कार्य संचालन एवं कार्यविधि नियम | 10 |
| 1.6 | एस.एस.सी.ए.सी.की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) | 10 |
| 1.6.1 | एस.एस.सी.ए.सी.की स्थायी समिति का गठन | 10 |
| 1.6.2 | एस.एस.सी.ए.सी.की स्थायी समिति का कार्यक्षेत्र | 11 |
| 1.7 | पुनरीक्षण समिति | 12 |
| **2.0** | **तकनीकी गतिविधियॉं** | 14 |
| 2.1 | एस.एस.सी.ए.सी.की बैठक | 14 |
| 2.2 | एस.एस.सी.ए.सी. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की बैठक | 15 |
| 2.3 | सरदार सरोवर विद्युत परियोजना के वीमा आवरण अधिकृत समिति की बैठक | 15 |
| 2.4 | पुनरीक्षण समिति की बैठक | 16 |
| 2.5 | परियोजना प्रबोधन एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट | 16 |
| 2.5.1 | मुख्य बॉंध एवं संबंधित कार्य (यूनिट-I) की प्रगति | 17 |
| 2.5.1.1 | मुख्य बॉंध से संबंधित अन्य कार्य की प्रगति | 20 |
| 2.5.1.2 | सिंचाई उपमार्ग सुरंग की प्रगति | 21 |
| 2.5.2 | विद्युत गृह कार्यो की प्रगति (यूनिट-III) | 21 |
| 2.5.2.1 | नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी.एच.पी.एच.) | 22 |
| 2.5.2.2 | नदी तल विद्युत गृह (आर.बी.पी.एच.) | 22 |
| 2.6 | परियोजना खर्च एवं बाकी साझा लागत | 23 |
| 2.7 | विविध गतिविधियॉं | 24 |
| 2.7.1 | सरदार सरोवर परियोजना के कार्यो से संबंधित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपदल, बॉंध सुरक्षा पैनल इत्यादि की बैठक | 24 |
| 2.7.2 | सरदार सरोवर परियोजना कार्य स्थल पर विशेष अथितियों का दौरा | 24 |
| **3.0** | **सचिवालय कार्यालय** | 25 |
| 3.1 | प्रभारी अधिकारी | 25 |

| कम संख्या | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 3.2 | सहायक कर्मचारी | 25 |
| 3.3 | रिक्त पदों की स्थिति | 25 |
| 3.4 | बजट एवं व्यय | 26 |
| 3.5 | हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग | 27 |
| 3.6 | प्रशिक्षण गतिविधियाँ | 28 |
| 3.7 | सर्तकता एवं अनुशासनिक मामले | 28 |
| 3.8 | लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत मामले | 28 |
| 3.9 | अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों का काल्याण | 28 |
| 3.10 | कोमी एकता पखवाडा | 28 |
| 3.11 | शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्ति | 29 |
| 3.12 | कम्प्यूटरीकरण | 29 |
| 3.13 | सूचना का अधिकार अधिनियम, | 29 |
| 3.14 | नागरिक चार्टर | 29 |


**टिप्पणी :** वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी अनुवाद करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि यदि अंग्रेजी संस्करण से कहीं भिन्नता है तो अंग्रेजी संस्करण को ही मूल संस्करण माना जाये ।

# अनुलग्नक की सूची



| अनुलग्नक संख्या | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| I(A) | एस.एस.सी.ए.सी. का मूल संविधान | |
| I(B) | एस.एस.सी.ए.सी. के मुख्यालय की प्रस्तावना | |
| I(C) | प्रथम संशोधन (दिनांक : 27 दिसम्बर 1980 ) | |
| I(D) | द्वितीय संशोधन (दिनांक : 17 दिसम्बर 1986 ) | |
| I(E) | तृतीय संशोधन (दिनांक : 17 दिसम्बर 1986 ) | |
| II | कार्य संचालन एवं कार्यविधि नियम, 1981 | |
| III | एस.एस.सी.ए.सी. अधिकारियों का अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति/स्थायी समिति के अलावा दूसरे बैठकों मे उपस्थिती का विवरण | |
| IV | सरदार सरोवर परियोजना कार्य स्थल पर विशेष अथितियों का दौरा | |
| V | एस.एस.सी.ए.सी. का संगठन चार्ट | |
| VI | सरदार सरोवर परियोजना की मुख्य विशेषताएँ | |

# अध्याय- 1

# प्रस्तावना

## 1.1 पृष्ठभूमि

अन्तर्राज्यीय नर्मदा नदी तथा इसकी घाटी पर उठे जल विवाद पर निर्णय देने के लिए भारत सरकार के सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्रालय ने अक्टूबर, 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्लू.डी.टी.) का गठन किया था । इस न्यायाधिकरण के अन्तिम आदेश एवं निर्णय को दिसम्बर, 1979 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए "सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी.)" का गठन करने का आदेश दिया । परियोजना की युनिट-I (बाँध एवं इससे संलग्न कार्य) एवं युनिट-III (जल विद्युत) के कार्यों को कुशलता व मितव्ययता एवं समय पर पूर्ण करने के लिए उक्त निर्माण सलाहकार समिति के गठन को न्यायाधिकरण ने वांछित एवं आवश्यक माना । तदानुसार भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1980 में सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी.) का गठन किया गया तथा इसकी पहली बैठक 5 दिसम्बर, 1980 को वड़ोदरा में आयोजित की गई ।

## 1.2 गठन

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन, मूल रूप से 4 सितम्बर 1980 को सिंचाई मंत्रालय द्वारा जारी किए संकल्प सं. 22/7/80-पी-1 से नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय के प्रभारी सचिव होंगे । तत्पश्चात, इसके गठन में अब तक तीन संशोधन किये गये, उसमें से दो संशोधन अप्रैल, 1986 में एवं एक संशोधन अगस्त, 1987 में किया गया । सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के गठन करने से सम्बन्धित भारत सरकार के मूल आदेश की प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-1 (क)** में प्रस्तुत की गई है । तथा संशोधित आदेश की प्रतियाँ **परिशिष्ट-1 (ख), 1 (ग) एवं 1 (घ)** में प्रस्तुत की गई हैं।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार है :

1. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (अध्यक्ष, एस.एस.सी.ए.सी.)
2. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, भारत सरकार ।

3. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार ।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार
5. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अथवा इसके स्वतन्त्र सदस्य, कार्यकारी सदस्य के प्रतिनिधि रूप में ।
6. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।
7. मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान सरकार के वित्तीय विभागों के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित ।
8. गुजरात एवं राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित ।
9. मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार के विद्युत विभाग के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित ।
10. मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के राजस्व विभाग अथवा भूमि अधिग्रहण से सम्बद्व अन्य विभाग के प्रभारी सचिव अथवा उनके नामित ।
11. महाप्रबन्धक अथवा गुजरात के मुख्य अभियंता, जो परियोजना प्रभारी हैं तथा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की परियोजना के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता अथवा उनके नामित ।
12. मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के विद्युत मण्डलों के अध्यक्ष अथवा उनके नामित ।
13. वित्तीय सलाहकार, सरदार सरोवर परियोजना ।
14. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ।

## 1.3 कार्यक्षेत्र

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1979 में दिये गये 4 सितम्बर, 1980 के न्यायिक निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशानुसार एस.एस.सी.ए.सी. के कार्यक्षेत्र में निम्न कार्य सम्मिलित हैं :

1. युनिट-I एवं युनिट-III के लिए तैयार किए गए परियोजना प्राक्कलन की समीक्षा करना, आवश्यक संशोधनों के लिए परामर्श देना एवं सम्बन्धित सरकारों को प्राक्कलनों की प्रशासकीय प्रति अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना ।

2. किसी भी सहभागी राज्य द्वारा निर्दिष्ट प्राविधिकता सम्बन्धी रूपरेखा एवं अभिकल्पन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों की तकनीकी एवं अभिकल्पों की एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना तथा यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों से परामर्श लेना ।

3. धन की उपलब्धता, परियोजना की अर्थव्यवस्था एवं इच्छित परिणामों को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को समन्वित ढंग से जांचना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना ।

4. अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य एवं अन्य उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकताओं की जॉच करना तथा आवश्यक अनुशंसा करना ।

5. परियोजना क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय दोनों प्रकार की प्रत्योजित शक्तियों की समय-समय पर जॉच करना तथा उसके सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा करना जो परियोजना कार्यों का कुशल निष्पादन करने के लिए आवश्यक है ।

6. कार्य के विभिन्न वर्गो के निर्दिष्टताओं (स्पेशीफिकेशन) की जॉच करना और जहॉं आवश्यक हो उनकी अनुशंसा करना ।

7. ऐसे उप प्राक्कलनों एवं संविदाए जो महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित की जाने वाली शक्तियों से परे हैं, उन सबकी जॉच करना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना ।

8. महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किये गये कार्यों एवं व्यय की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा जहॉं आवश्यक हो कार्यों में तीव्रता लाने हेतु उपायों के लिए अनुशंसा देना ।

## 1.4 मुख्यालय एवं सचिवालय

एस.एस.सी.ए.सी. का गठन करने के लिए भारत सरकार के संकल्प में मुख्यालय गॉंधीनगर दर्शाया गया था, परन्तु महाराष्ट्र सरकार के सुझाव के अनुसार बॉंध स्थल, वड़ोदरा के समीप होने तथा गुजरात सरकार द्वारा एस.एस.सी.ए.सी. के लिए वड़ोदरा में कार्यालय एवं कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एस.एस.सी.ए.सी ने दिसम्बर 1980 में आयोजित अपनी पहली बैठक में अपना मुख्यालय वड़ोदरा निर्धारित किया ।

एस.एस.सी.ए.सी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त, मुख्य अभियंता पद् के समकक्ष पूर्णकालिक सचिव है । 1986 से सचिव का पद् जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (संवर्ग "अ") सेवा में समाहित कर लिया गया है ।

सचिव की सहायता के लिए एक उपसचिव एवं तीन सहायक सचिव पदस्थ हैं, ये भी केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी ("अ"-संवर्ग) सेवाओं से जुडे अधिकारी हैं । इसके कर्मचारियों को सहभागी राज्यों एवं

अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों/अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है ।

## 1.5 कार्य संचालन

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के न्यायिक निर्णय के अनुसार एस.एस.सी.ए.सी. को अपना कार्य संचालन के लिए नियम स्वयं बनाने थे । तदानुसार समिति ने अपनी तीसरी बैठक में अपने कार्य संचालन एवं प्रकिया सम्बन्धी नियमों को अनुमोदित किया जिसको समिति ने अपनी 11वीं, 14वीं एवं 67वीं बैठकों के दौरान संशोधित किया । संशोधित नियम **परिशिष्ट – II** में दिये गये हैं ।

## 1.6 स्थायी समिति (पी.एस.सी.)

### 1.6.1 स्थायी समिति का गठन

सरदार सरोवर परियोजना की युनिट-I एवं युनिट-III से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा संवीक्षा एवं संस्तुति करने की व्यवस्था को सुवाही आकार प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए 9 जून, 1983 को अपनी 9वीं बैठक के दौरान एक स्थायी समिति के गठन करने का निर्णय लिया । स्थायी समिति का गठन करने से सम्बन्धित निबंधन एवं सन्दर्भ सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप स्थायी समिति की प्रथम बैठक जो 9 अगस्त, 1983 को आयोजित की गई, में दिया गया । इस प्रस्ताव में समिति के अध्यक्ष नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (आयोजन एवं प्रगति), सरदार सरोवर परियोजना के वित्तीय सलाहकार एवं एस.एस.सी.ए.सी. के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया । एस.एस.सी.ए.सी. ने उक्त प्रस्ताव को 25 अगस्त, 1983 को हुई अपनी 10वीं बैठक में स्वीकार किया । एस.एस.सी.ए.सी. ने 22 सितम्बर, 1986 को आयोजित 26वीं बैठक में स्थायी समिति का पुनर्गठन किया जिसमें चारों सहभागी राज्यों के प्रतिनिधियों एवं जल संसाधन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को भी शामिल कर लिया गया । एस.एस.सी.ए.सी. ने 29 जून, 1987 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में स्थायी समिति के गठन में पुन: संशोधन किया जिसमें समिति के अध्यक्ष पद पर न.नि.प्रा. के कार्यकारी सदस्य को न.नि.प्रा. के अध्यक्ष की जगह पर मनोनीत किया गया । एस.एस.सी.ए.सी. ने 24 अगस्त 1998 को आयोजित 64वीं बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता (सी.एम.ओ) को सदस्य (परियोजना एवं प्रगति) की जगह पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया ।

स्थायी समिति का वर्तमान गठन निम्नानुसार है :

1. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
2. सदस्य (एच.ई.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार ।
3. मुख्य अभियंता, (सी.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार ।
4. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. सचिव (नर्मदा), नर्मदा एवं जल संसाधन तथा जल आपूर्ति विभाग, गुजरात सरकार ।
6. निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एस.एस.एन.एन.लि., गुजरात सरकार ।
7. सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सरकार।
8. मुख्य अभियंता एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई क्षेत्र, जोधपुर, राजस्थान सरकार ।
10. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, भारत सरकार (सदस्य सचिव)।

## 1.6.2 स्थायी समिति के कार्य

एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा अपनी 10वीं बैठक में अनुमोदित किए गये प्रस्ताव के अनुसार स्थायी समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

i) परियोजना के समस्त प्राक्कलनों की संवीक्षा करना व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित करना

ii) एस.एस.सी.ए.सी. की ओर से ऐसे प्रत्येक प्राक्कलन की जाँच करना तथा उस पर स्वीकृति प्रदान करना जो महाप्रबन्धक/मुख्य अभियंता की शक्तियों से परे हैं व रु.20 करोड तक के हैं ।इन प्राक्कलनों को सम्बन्धित सरकार को प्रशासनीय अनुमोदन के लिए अनुशंसा करना। तथा ऐसे प्राक्कलन जो रु. 20 करोड से अधिक लागत मूल्यों के हैं प्रत्येक की जाँच करना व एस.एस.सी.ए.सी. को स्वीकृति के लिए अनुशंसित करना ।

iii) एस.एस.सी.ए.सी. को भेजे गए परियोजना कार्यों की प्राविधिक रुपरेखा एवं अभिकल्पन की संवीक्षा करना ओर भेजने वाले प्राधिकरण को अपनी अनुशंसा से अवगत कराना ।ऐसे प्रकरण जिनमें पी.एस.सी. द्वारा की गयी अनुशंसा के कारण, एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा पूर्व अनुमोदित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर आता हो तो स्थायी समिति को ऐसे सभी मुद्दे एस.एस.सी.ए.सी को अनुमोदन के लिए भेजने होंगे ।

iv) परामर्शदाता के पैनल और /अथवा विशेषज्ञ संस्थाओं को भेजी जाने वाली समस्याओं की पहचान करना तथा उन्हें एस.एस.सी.ए.सी को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना ।परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित सुझावों पर कार्यवाही करके अपनी अनुशंसा को एस.एस.सी.ए.सी को प्रस्तुत करना ।

v) युनिट । एवं युनिट -।।। के निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा करना, परियोजना के सभी कार्यों की मासिक प्रगति की समीक्षा करना तथा निर्माण कार्यक्रमों में यदि किसी संशोधन / समायोजन की आवश्यकता हो तो निर्माण प्राधिकरण को इसकी अनुशंसा करना ।

vi) कार्यो में हुई प्रगति के आधार पर तथा एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण वार्षिक परिव्यय के अन्तर्गत युनिट I एवं युनिट -III में या इन युनिटों के मध्य अथवा / और युनिट के अन्तर्गत एक कार्य से दूसरे कार्य में विनियोजित करने की अनुशंसा करना ।

vii) परियोजना अधिकारियों की शक्ति से बाहर व 20 करोड रुपयों तक के परियोजना कार्यों की निविदाओं की जाँच करना एवं सम्बन्धित सरकारों को अनुशंसा करना ।

viii) परियोजना कार्यों की निर्दिष्टाओं की जाँच करना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना ।

ix) रु.20 करोड से अधिक लागत वाले परियोजना कार्यों की निविदा की जाँच करना तथा उस पर एस.एस.सी.ए.सी. को अपनी अनुशंसा देना ।

x) एस.एस.सी.ए.सी के सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत पदों का सृजन करने की अनुशंसाएँ करना तथा सम्बद्ध भर्ती नियमों की स्वीकृति प्रदान करना ।

xi) एस.एस.सी.ए.सी द्वारा समय- समय पर प्रत्यायोजित किये गये ऐसे सभी कार्यो को करना ।

एस.एस.सी.ए.सी की 29 सितम्बर, 1987 को आयोजित हुई 29 वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के ऊपर से ठेकेदारों के दावों का निपटारा करने के लिए पी.एस.सी. क्लेम समिति का कार्य करेगी ।

एस.एस.सी.ए.सी की 68वीं बैठक, जो 27 जून, 2002 को हुई थी, के निर्णयानुसार, स्थायी समिति के समेकित कार्य, क्लेम कमेटी की तरह निम्नानुसार होंगे ।

(क) उन सभी दावों का जो अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण आये व एस.एस.सी.ए.सी द्वारा अनुमोदित संविदाओं से सम्बन्धित हैं ।

(ख) एस.एस.सी.ए.सी द्वारा अनुमोदित सभी निविदाओं से सम्बन्धित वे सभी दावे जो निविदा कार्य की मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त कार्यों के कारण उठे व जिनमें प्रत्येक दावा रु. 5 करोड से ज्यादा हो ।

(ग) एस.एस.सी.ए.सी द्वारा अनुमोदित सभी निविदाओं से सम्बन्धित वे सभी दावे जो निविदा मद की मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त मदों या अनपेक्षित कारणों से उठे व दिये गये कुल दावे, कार्य विशेष की 25% निविदा मूल्य से अधिक हो गये हों ।

(घ) परियोजना अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई सभी निविदाओं के बारे में सभी दावे जो मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त मदों या अनपेक्षित कारणों से उठे व कुल दावे, कार्य विशेष की 10% निविदा मूल्य से अधिक हों ।

## 1.7 पुनरीक्षण समिति

एस.एस.सी.ए.सी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर असहमति की स्थिति उत्पन्न होने पर, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पुनरीक्षण समिति एस.एस.सी.ए.सी की पुनरीक्षण समिति के रुप में भी कार्य करती है ।

पुनरीक्षण समिति स्वयं के विवेक पर अथवा सहभागी राज्यों द्वारा आवेदन करने पर एस.एस.सी.ए.सी द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय पर पुनरीक्षण समिति द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होंगे और सम्बन्धित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे । पुनरीक्षण समिति की बैठक जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में होती है तथा गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री और पर्यावरण एवं वन मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं । केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव बिना मताधिकार के इस पुनरीक्षण समिति के संयोजक होते हैं ।

# अध्याय- 2

# तकनीकी गतिविधियाँ

## 2.1 एस.एस.सी.ए.सी. की बैठकें

एस.एस.सी.ए.सी. को सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यो को कुशलता, मितिव्ययता एवं शीघ्रतापूर्वक पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है । समिति, कार्यक्रम/निर्माण की प्रगति, प्राक्कलन, दावों, साझा लागत का भूगतान इत्यादि से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करती है ।

वर्ष के दौरान, एस.एस.सी.ए.सी. की एक बैठक आयोजित की गयी । 74वीं बैठक 27 सितम्बर 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी । उपर्युक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का ब्यौरा निम्नलिखत पैरा में उल्लेखित है :

### एस.एस.सी.ए.सी. की 74वीं बैठक

क) **एस.एस.सी.एसी की 73वीं बैठक के कार्यवृत का पुष्टिकरण**

समिति ने एस.एस.सी.ए.सी. की 73वीं बैठक के कार्यवृत का पुष्टिकरण कर दिया।

ख) **विद्युत गृह के प्रचालन एवं रख रखाव**

समिति ने सरदार सरोवर परियोजना के प्रचालन एवं रख रखाव को गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत "रेट प्लस" अनुबन्ध के आधार पर किये गये प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।

ग) **सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का बीमा आवरण**

समिति ने एक अधिकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया जो एस.एस.सी.ए.सी. को परियोजना के पक्ष में बेहतर विकल्प को चुनने के साथ-साथ कुल विमित योग पर अपना अनुमोदित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि आवश्यक कार्यवाही जल्द की जा सके।

**ध) साझेदार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के साझा लागत का भुगतान** समिति ने महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार को गुजरात सरकार को देय अविवादित साझा लागत के भुगतान को शीध्रता से करने का निर्देश दिया ।

ड़) **वार्षिक विकास योजना (ए.डी.पी.2006-2007 ) का प्रारूप प्रस्ताव**

समिति ने स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित 875 करोड़ रूपये लागत की यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यो के लिए 2006-2007 के वार्षिक विकास योजना को स्वीकृत कर दिया ।

च) **भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के टेलरेस चैनल के निर्माण के लिए समय अवधि बढ़ाना एवं दर संशोधित करना**

समिति ने स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित गुजरात सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया ।

छ) **सरदार सरोवर परियोजना के गरूडेश्वर वियर का निर्माण**

समिति ने गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) को राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन को शीध्रता से करने का निवेदन किया ।

ज) **मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट द्वारा 1993-94 से 1997-98 तक विभिन्न कार्यरत ऋतु मे सरदार सरोवर बाँध के स्पिलवे की ऊँचाई बढ़ाने के प्रतिबंध लगने से कंकीट प्रगति में कमी होने के कारण दावा प्रस्तुति**

समिति ने निर्णय लिया कि दोनों राज्य (गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार) इस मुद्दे को परस्पर हल करने की कोशिश करें एवं उसके बाद ये मामला एस.एस.सी.ए.सी. के सामने रखा जाएगा।

## 2.2 एस.एस.सी.ए.सी. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की बैठकें

वर्ष के दौरान एस.एस.सी.ए.सी. की स्थायी समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई ।

## 2.3 सरदार सरोवर विद्युत परियोजना के बीमा आवरण पर अधिकार समिति की बैठकें

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के 27 सितम्बर 2007 को आयोजित 74वीं बैठक में सरदार सरोवर विद्युत परियोजना के बीमा आवरण के लिए कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक अधिकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया जिसके सदस्य साझेदार राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के होगें एवं सचिव (एस.एस.सी.ए.सी.) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एस.एस.सी.ए.सी. के विवेचन एवं स्वीकृति के लिए परियोजना के पक्ष में बेहतर विकल्प को चुनने के साथ-साथ कुल विमित योग पर अपना अनुमोदित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अधिकार समिति की पहली बैठक 19 फरवरी 2007 को सरदार सरोवर बाँध स्थल, केवड़िया, गुजरात में संपन्न हुई, जिसमें समिति सरदार सरोवर विद्युत परियोजना परिषर का बीमा आवरण शीघ्र कराने के लिए राजी हुआ एवं निम्नलिखित अनुशंसाये की:-

(i) वीमाकृत की जाने वाली मदें

नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी.एच.पी.एच.), 400 KV गैस बिलगाव स्विच (जी.आई.एस.) यार्ड, स्वचालित परिवर्तित्र एवं ई.ओ.टी.क्रेन, नदी तल विद्युत गृह (आर.बी.पी.एच.) एवं संचरण लाइन।

(ii) संरक्षित जोखिम

अग्नि एवं एस.आर.एम.डी. (हडताल, उपद्रव, जान बूझकर की गई क्षति) + भुकंप + आतंकवाद + बाढ एवं एस.टी.एफ.आई (आंधी, तूफान, बाढ़, आप्लावन), बिना उत्पादन हानि एवं बिना ब्रेकडाउन के

(iii) अगली बैठक में गुजरात सरकार बीमा कंपनियों को विभिन्न पैकजों पर अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित कर सकती है ।

(iv) समिति बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाले प्रस्तुतिकरण एवं गुजरात सरकार द्वारा की जाने वाली विस्तृत विश्लेषण एवं सूचना के आधार पर सरदार सरोवर विद्युत परियोजना के बीमा आवरण में अतिरिक्त जोखिम जैसे उत्पादन की हानि, मशीनरी ब्रेकडाउन इत्यादि को शामिल किये जाने पर विचार कर सकती है।

## 2.4 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति की बैठक

वर्ष 2006-2007 के दौरान माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति की 13वीं बैठक नई दिल्ली में 15 अप्रैल 2006 को आयोजित की गई थी ।

## 2.5 परियोजना प्रबंधन एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट

विद्युत गृह एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों की प्रगति पर परियोजना अधिकारियों के साथ विचार- विमर्श एवं अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए एस.एस.सी.ए.सी. के सचिव एवं अन्य अधिकारी प्राय: बाँध स्थल का निरीक्षण करते रहते हैं गया। इस सचिवालय द्वारा परियोजना के यूनिट- । (बाँध एवं आनुषंगिक कार्य) एवं यूनिट-III (जल विद्युत कार्य) कार्यों के जून 2006 अंत तक भौतिक एवं आर्थिक प्रगति को दर्शाने वाला अर्धवार्षिक वस्तुस्थिति रिपोर्ट समिति के सदस्यों एवं आमंत्रितगण के बीच वितरित किया गया।

सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के कार्यो की प्रगति को सूक्ष्मता से प्रबंधन करने के लिए 14 नवम्बर 2002 को आयोजित 86वीं स्थायी समिति की बैठक में केन्द्रीय जल आयोग,

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति से मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों को लेकर एक प्रबंधन दल बनाने का निर्णय किया गया।

यह प्रबंधन दल नदी तल विद्युत गृह के पुरा होने तक परिचालित रहेगा ।प्रबंधन दल की अंतिम बैठक 14 नवम्बर 2005 को हुआ था ।

सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के छठवें एवं अंतिम यूनिट जून 2006 मे कमीशन हो गये थे एवं उसके सभी यूनिटों का परिचालन एवं रखरखाव अब गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड को सुप्रर्द कर दिया गया। नदी तल विद्युत गृह में जारी कार्य जैसे अग्निशमन प्रणाली, रोशनदान प्रणाली, वातानुकुलन कार्य, कम्प्यूटराइज्ड नियंत्रण प्रणाली इत्यादि प्रगति पर है एवं पूरा होने के कगार पर है। प्रबंधन दल की बैठक को आर.बी.पी.एच./सी.एच.पी.एच. के सभी यूनिटों के कमीशनिंग के बाद रोक दिया गया था। विद्युत उत्पादन की योजना एवं परिचालन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के विद्युत प्रबंधन केन्द्र के दिशा निर्देश के तहत किया जाता है।

वर्ष 2006-2007 के दौरान इस सचिवालय द्वारा परियोजना व्यय एवं साझेदार राज्यों के साझा लागत की स्थिति माहवार आधार पर बनाई गई एवं इसे सभी साझेदार राज्यों/जल संसाधन मंत्रालय को परिचालित किया गया।

## 2.5.1 मुख्य बॉँध एवं आनुषांगिक कार्यो (यूनिट-I) की प्रगति

सर्वोच्च न्यायालय में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के द्वारा दायर याचिका के कारण बॉँध के मुख्य स्पिलवे का कार्य पॉँच वर्षो से उपर रूका रहा ।सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्तूबर 2000 को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया जिसमें न्यायालय ने बॉँध की ऊँचाई को 90 मीटर तक उठाने का रास्ता साफ कर दिया एवं बॉँध का आगे का निर्माण नर्मदा जल विवाद अभिकरण के निर्णय के अनुरूप करने का निर्देश दिया। ब्लॉक सं. 36 से 46 तक को 90 मीटर तक ऊँचा उठाने का कार्य 30 दिसम्बर 2000 को पुरा कर लिया गया।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो सरदार सरोवर परियोजना के पुर्नस्थापन एंव पुर्नवास का प्रबंधन कर रहा है, 17 नवम्बर 2000 को आयोजित 61वीं बैठक में पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास के कार्यो को पुरा करने के लिए एक कार्य योजना सुनिश्चित किया ।नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित इस कार्य योजना को पुनरीक्षण समिति ने 10 जनवरी 2001 को हुई 8वीं बैठक मे स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त कार्य योजना के अनुसार पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास कार्यक्रम का समय ढांचा एवं बॉँध को पूर्ण करने के अनुकूल अनंतिम सूची तालिका 2.1 में दर्शाया गया है ।

**तालिका 2.1**

| बांध की ऊँचाई (ई.एल) (जलोत्थान स्तर) | सभी नागरिक सुख-सुविधाओं के विकास, उन्नत कृषि उपयोगी भूमि व आवासीय भवन हेतु प्लाट एवं आर एण्ड आर साईट पर मुख्य रिहायशी भवन व जमीन एवं भवन प्लाट की पी.ए.एफ को आवन्टित करने की तिथि | आर.एण्ड आर. व पर्यावरण उपसमूह की अनुमति एवं न.नि.प्रा. के अनुमोदन के उपरान्त बाँध कार्यों को पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 90 मीटर | कार्य पूर्ण | |
| 100.0 मीटर (120.04 मीटर) | दिसम्बर, 2001 | जून, 2002 |
| 110.0 मीटर (127.10 मीटर) * | दिसम्बर, 2002 | जून, 2003 |
| 121.0 मीटर (136.00 मीटर) ** | दिसम्बर, 2003 | जून, 2004 |
| 138.68 मीटर | दिसम्बर, 2004 | जून, 2005 |

* 110 मीटर के बजाय बाँध की उंचाई न.नि.प्रा. की दिनांक 12/13 मार्च 2004 को हुई 70वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 110.64 मीटर तक की गई थी। (एम.डी.डी.एल. के अनुकूल) (जलोत्थान स्तर 128.16 मी.)

** 121 मीटर के बजाय बाँध की उंचाई न.नि.प्रा. की दिनांक 11 मई 2004 को हुई 71वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 121.92 मीटर की जाएगी ।

पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास कार्यो की धीमी प्रगति के कारण नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के उपर्युक्त नियत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 17 मई 2002 को संपन्न 64वीं बैठक में बाँध की प्रभावी ऊँचाई 95 मीटर तक बढाने की अनुमति प्रदान की और यह कार्य जुलाई 2002 के मध्य तक पूरा कर लिया गया। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 14 मई 2003 को आयोजित अपनी 66वीं (अपातकालीन) बैठक में मुख्य स्पिलवे ब्लॉकों (सं. 30 से 46) को 100 मीटर तक ऊँचा उठाने तथा ब्लॉक संख्या 30 एवं 46 को अनुप्रवाह शमन कुंड की सुरक्षा के लिए ऐसे ही छोडते हुए, ब्लॉक सं. 31 से 45 के ऊपर 3 मीटर ऊँचा हंप बनाने की अनुमति प्रदान की।

उक्त कार्य जून 2003 तक पूरा कर लिया गया। तत्पश्चात्, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 12/13 मार्च 2004 को आयोजित 70वीं बैठक में ब्लॉक सं. 30 से 46 को 110.64 मीटर तक ऊँचा उठाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद, ब्लॉक संख्याँ 29,47,48,49 एवं 50 जो 105 मीटर स्तर पर थे, उसे भी 110.64 मीटर तक ऊँचा उठाने की जरूरत थी ताकि बाँध की प्रवाही ऊँचाई 110.64 मी. हो जाए। कुल 164699 धनमीटर कंक्रीटिंग का कार्य 17 मार्च 2004 को शुरू होकर 30 जून 2004 को पूरा हो गया था। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 8 मार्च 2006 को आयोजित 76वीं आपातकालीन बैठक

में मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास कार्यो पर विचार-विमर्श एवं पर्यावरणीय और पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास उपदलों के अनुमोदन पश्चात ब्लॉक सं. 30 से 46 को 121.92 मीटर तक ऊँचा उठाने की स्वीकृति प्रदान की । इन ब्लॉको को 121.92 मीटर तक ऊँचा उठाने का कार्य 9 मार्च 2006 को शुरू हुआ एवं 31 दिसम्बर 2006 को पूरा कर लिया गया।

बाँध के स्पिलवे भाग में खम्भे को उठाने एवं अर्धव्यास आकार का फाटक लगाने का शेष कार्य अभी करना बाकी रह गया है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बाँध की ऊँचाई को आगे बढ़ाने की अनुमति अब नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास उपदल और पर्यावरणीय उपदल द्वारा अनापत्ति मिल जाने एवं गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के शिकायत उन्मूलन प्राधिकरण से परामर्श के बाद दी जाएगी।

मार्च 2007 तक सम्पादित मुख्य बाँध (यूनिट- I) की सम्रग प्रगति तो तालिका 2.2 मे दर्शाया गया है

**तालिका 2.2**

**मुख्य बाँध (युनिट-.I) के कार्यो की प्रगति**

| मदें | मात्रक | अनुमानित मात्रा | मार्च 2006 तक की प्रगति | प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्रगति | मार्च 2007 तक विनिमयात्मक प्रगति | मार्च 2007 तक प्रतिशत प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| खुदाई | हजार धन मीटर | 6400 | 6358.00 | 1.051 | 6359.01 | 99.36 |
| कंक्रीटिंग बाँध | हजार धन मीटर | 5620 | 5025.48 | 153.30 | 5178.78 | 92.15 |
| स्टेलिंग बेसिन | | 1200 | 1370.61 | 17.79 | 1388.40 | 115.70 |
| उप योग | | 6820 | 6396.09 | 171.09 | 6567.18 | 96.29 |
| ड्रिलींग एवं ग्राउटिंग | हजार प्रति मीटर | 282 | 250.45 | 0 | 250.45 | 88.81 |

मार्च 2007 अंत तक बाँध के ब्लॉक स्तरों की प्राप्ति का विवरण तालिका 2.3 मे दर्शाया गया है

**तालिका 2.3**

**सरदार सरोवर परियोजना -मार्च 2007 अंत तक ब्लाँक स्तरो का विवरण**

| ब्लाँक सं | स्तर (मीटर में) | ब्लाँक सं | स्तर (मीटर में) | ब्लाँक सं | स्तर (मीटर में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146.00 | 23 | 121.92 | 45 | 121.92 |
| 2 | 146.00 | 24 | 121.92 | 46 | 121.92 |
| 3 | 146.50 | 25 | 121.92 | 47 | 121.92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 146.50 | 26 | 121.92 | 48 | 121.92 |
| 5 | 146.50 | 27 | 121.92 | 49 | 121.92 |
| 6 | 146.50 | 28 | 121.92 | 50 | 121.92 |
| 7 | 146.50 | 29 | 121.92 | 51(OF) | 121.92 |
| 8 | 146.50 | 30 | 121.92 | 51 (NOF) | 143.00 |
| 9 | 146.50 | 31 | 121.92 | 52 | 146.50 |
| 10 | 146.50 | 32 | 121.92 | 53 | 146.50 |
| 11 | 139.15 | 33 | 121.92 | 54 | 146.50 |
| 12 | 125.00 | 34 | 121.92 | 55 | 146.50 |
| 13 | 125.00 | 35 | 121.92 | 56 | 146.50 |
| 14 | 134.00 | 36 | 121.92 | 57 | 146.50 |
| 15 | 134.00 | 37 | 121.92 | 58 | 146.50 |
| 16 | 134.00 | 38 | 121.92 | 59 | 146.50 |
| 17 | 134.00 | 39 | 121.92 | 60 | 146.50 |
| 18 | 134.00 | 40 | 121.92 | 61 | 146.50 |
| 19 | 132.00 | 41 | 121.92 | 62 | 146.50 |
| 20 | 132.00 | 42 | 121.92 | 63 | 146.00 |
| 21(NOF)<br>21(OF) | 125.50<br>121.92 | 43 | 121.92 | 64 | 146.00 |
| 22 | 121.92 | 44 | 121.92 | | |

नोट : अनुउत्प्लावी ब्लॉक सं. 13 अनुप्रवाह से ई.एल 121.0 मी से ई.एल. 125 मी. तक विकृत भाग है ।

### 2.5.1.1 मुख्य बॉंध से संबंधित अन्य कार्यो की प्रगति

कुल 432 उपकरणों को मुख्य बॉंध में अधिष्ठापित करना हैं जिसमें से 379 उपकरणों को अधिष्ठापित कर दिया गया है तथा केवल 53 उपकरणों का अधिष्ठापन करना शेष है। वर्तमान में निर्माण कार्य के समय तारों के कटने, उपकरणों के कार्य न करने के कारण इत्यादि की वजह से केवल 61 उपकरणों का ही प्रबोधन किया जा रहा है। कुछ उपकरणों को बदलने की मी आवश्यकता है। इन्हे ठीक करने हेतु एस.एस.एन.एन.एल. द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। बॉंध क्षेत्र के पास भूकंपनीयता का प्रबोधन करने हेतु नौ भूकंपीय निरीक्षकायें स्थापित की गयी थीं जिसमे फिलहाल सात स्टेशनों से भूकंपीय आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। केवड़ीया कोलोनी स्थित केन्द्रीय स्टेशन पर कम्प्यूटर आधारित भूंकपीय आंकड़ो की प्रकिया एवं विश्लेषण (डी.ए.सी.300) चुम्बकीय प्लेबैक प्रणाली एवं डीजीटीलायजर से किया जाता है। बॉंध में दस तीव्र गति के एक्सेलेरोग्राफ भी अधिष्ठापित किये जायेंगे। स्पिलवे के ब्लॉक सं. 43 में तीन नग, विद्युत बॉंध के ब्लॉक सं. 55 में दो नग, अनुत्प्लावी ब्लॉक सं. 13 में एक नग तथा एक नग बॉंध के दांये एवं बांये छोर के प्रत्येक पीलपायों पर अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है ।

## 2.5.1.2 सिंचाई उपमार्ग सुरंग की प्रगति :

18 जुलाई 2000 को आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 60वीं बैठक में सिंचाई उपमार्ग सुरंग की आवश्यकता का निर्णय लिया गया, जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति ने 18 अगस्त 2001 को आयोजित 9वीं बैठक में सर्मथन प्रदान किया । 5.5 मीटर व्यास की दो गोलाकार सुरंगे मुख्य जलाशय के दांई और जुड़ी एक पहाड़ी से होते हुए प्रथम तालाब से जुड़ी है। जुडवां उपमार्ग सुरंग जो प्रवेश द्वार पर 88.39 मी. उल्टा स्तर पर है, का नि:स्सरण क्षमता 97.54 जल स्तर पर 283.12 ध.मी./से. (10, 000 ध.फु/से.) और 110.64 मी. जल स्तर पर 441.66 ध.मी./से (15000 ध.फु./से.) है।

सिंचाई उपमार्ग सुरंग में सेवा फाटकों का अधिष्ठापन एवं द्रवचालित उत्थापक का कार्य छोड़कर करीब-करीब सभी कार्य पुरे हो चुके हैं। सुदाई, पथ्थर आवरण की कंक्रीटिंग, स्टील लायनर का अधिष्ठापन, स्टील लायनर के आस-पास कांक्रीटिंग तथा सेवा फाटक उच्चालक कक्ष आदि पूर्ण हो चुके है। सेवा फाटक का गढ़न, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन दिसम्बर 2007 तक पूरा करने की योजना है। सिंचाई उपमार्ग सुरंग के समग्र कार्य का मार्च 2007 तक की प्रगति तालिका 2.4 में दी गई हैं।

**तालिका 2.4**
**सिंचाई उपमार्ग सुरंग के मार्च 2007 तक के कार्य कि प्रगति**

| मद | इकाई | प्राकलित मात्रा | मार्च 2006 तक कुल प्रगति | रिपोर्टिंग अवधि में की गई प्रगति | मार्च 2007 तक कुल प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| खुली खुदाई | लाख धन मीटर | 7.38 | 7.346 | 0.00 | 7.346 |
| सुरंग एवं कूपक की खुदाई | | 0.35 | 0.318 | 0.00 | 0.318 |
| कांक्रीटिंग | | 1.60 | 1.580 | 0.028 | 1.608 |
| दरवाजा अधिष्कापन | टन | 2220 | 2140 | 0.0 | 2140 |

## 2.5.2 विद्युत गृह कार्यो की प्रगति (यूनिट-III) :

सरदार सरोवर परियोजना में कुल अधिठापित क्षमता 1450 मेगावाट के दो विद्युत गृह अर्थात भूमिगत नदी तल विद्युत गृह (1200 मेगावाट) तथा नहर शीर्ष विद्युत गृह (250 मेगावाट ) है।

वर्ष 2006-2007 (अप्रैल 2006 से मार्च 2007) के दौरान दोनों विद्युत गृहों से कुल विद्युत उत्पादन 3538.513 मिलि.यूनिट था।

नहर शीर्ष विद्युत गृह तथा भूमिगत नदी तल विद्युत गृह दोनों विद्युत गृहो का संचालन एवं रख-रखाव गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

### 2.5.2.1 नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी.एच.पी.एच.) :

नहर शीर्ष विद्युत गृह एक सतही विद्युत गृह है जो सेडल बाँध के प्रथम संग्रह तालाब के दांयी छोर पर स्थित है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 250 मेगावाट (5 यूनिट प्रत्येक 50 मेगावाट की कपलान टरबाइन) है। नहर शीर्ष विद्युत गृह के सिविल एवं विद्युत कार्य जनवरी 1998 मे पूर्ण हो चुके है, लेकित बाँध की ऊँचाई 110.64 मी. पहुँचने पर ही विद्युत उत्पादन संभव हो सका । नहर शीर्ष विद्युत गृह के सभी पांच यूनिट (1x50 मेगावाट) अगस्त 2004 से दिसम्बर 2004 के दौरान सफलतापूर्वक कमीशन कर दिये गये।

### 2.5.2.2 नदी तल विद्युत गृह (आर.बी.पी.एच.)

नदी तल विद्युत गृह नदी की दांई और बाँध से 165 मीटर अनुप्रवाह मे स्थित एक भूमिगत विद्युत गृह है। भूमिगत नदी तल विद्युत गृह में 6 यूनिट प्रत्येक 200 मेगावाट प्रतिवर्त्ती प्रकार की फांसिस टरबाइन है। भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम (आर.आई.एस-2002) की स्वीकृति एस.एस.सी.ए.सी. द्वारा 29 जुलाई 2003 को आयोजित 69वीं बैठक में तालिका 2.4 में सूचीबद्ध मुख्य तिथियों के साथ दी गई है ।

**तालिका 2.4**

**नदी तल विद्युत गृह की मुख्य तिथियाँ (आर.आई.एस-2002)**

| क्रमांक | गतिविधि का नाम | लक्ष्य प्राप्ति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विद्युत गृह गुफा के सिविल कार्य | 30.06.2005 |
| 2 | टेल रेस चेनल का निर्माण | 31.05.2004 |
| 3 | पेनस्टॉक का गढ़न एवं उत्थापन | 31.12.2004 |
| 4 | एकत्रीकरण ताल में ड्राफ्ट टयूब दरवाजे की तथा बाहरी सुरंग में ट्रेस रेक की आपूर्ति एंवं उत्थापन | 31.12.2004 |
| 5 | भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के यूनिटों की शुरूआत | |
| | यूनिट -I | 30.09.2004 |
| | यूनिट -II | 31.01.2005 |
| | यूनिट -III | 31.05.2005 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | यूनिट -IV | 30.09.2005 |
| | | यूनिट –V | 31.01.2006 |
| | | यूनिट -VI | 31.05.2006<br>(छठी/अन्तिम यूनिट) |

भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के सभी छः यूनिटो का सिविल एवं विद्युत कार्य पूरे हो चुके हैं। नदी तल विद्युत गृह के सभी छः यूनिटों की कमीशंनिग क्रमशः 01.02.2005, 30.04.2005, 30.08.2005, 28.10.2005, 07.03.2006 एवं 20.06.2006 को हो चुकी है। नदी तल विद्युत गृह के सिविल कार्यो की मार्च 2007 अंत तक की प्रगति की वस्तुस्थिति तालिका संख्या 2.5 में दी गई है।

तालिका 2.5

**भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के कार्यो की प्रगति**

| क्रमांक | नदी तल विद्युत गृह के सिविल कार्य | इकाई | कुल संशोधित अनुमानित मात्रा | मार्च 2006 तक कुल किये गये कार्य | किये गये कार्य का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **खुली खुदाई** | **हजार घन मीटर** | 1715.00 | 1703.36 | 99.32% |
| 2 | **भूमिगत खुदाई** | | 732.06 | 688.07 | 93.99% |
| | **काँक्रीटिंग** | | 335.19 | 311.88 | 93.05% |
| 4 | **शॉटक्रीटिंग** | | 207.73 | 184.86 | 88.99% |
| 5 | **रॉक बोल्टिंग** | **हजार प्रति मीटर** | 168.18 | 142.01 | 84.44% |

नदी तल विद्युत गृह में रोशनीकरण, लिफ्ट तथा अग्निशमन कार्य पूरे हो चुके हैं। वातानुकूलन रोशनदान प्रणाली तथा कम्प्यूटरराइज्ड नियंत्रण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।

## 2.6 परियोजना व्यय एवं बकाया साझा लागत

योजना आयोग के पत्र संख्या : 2 (194)/88-I&CAD दिनांक : 05.10.1988 के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1986-1987 के मूल्य स्तर पर 6406.04 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया था । इस प्राक्कलन मे यूनिट-I (बॉंध एवं आनुषांगिक कार्य) की लागत बी भूमि 316.7149 करोड़ रूपये सहित 1019.45 करोड़ रूपये तथा यूनिट-III (जल विद्युत कार्य) की लागत 979.95 करोड़ रूपये था । 8 दिसम्बर 2004 को आयोजित 71वीं बैठक में सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ने यूनिट-I की 2000-2001 मूल्य स्तर पर संशोधित अनुमानित लागत 3003.57 करोड़ रूपये जिसमें पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के 3033.21 करोड़ रूपये शामिल नही है तथा यूनिट-III के 2782.07 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की ।

गुजरात सरकारने परियोजना व्यय के रूप मार्च 2007 तक करोड़ 23871.88 रूपये बुक किये है । साझेदार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को दी जानेवाली अविवादित साझा लागत एवं बकाया राशि की समग्र स्थिति तालिका 2.6 में दी गई है।

**तालिका 2.6**

(राशि करोड रु. में)

| विवरण | मध्यप्रदेश | महाराष्ट्र | राजस्थान | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अविवादित साझा लागत | 2065.06 | 978.19 | 576.40 | 3619.66 |
| भुगतान की गई साझा लागत | 1939.84 | 583.39 | 646.95 | 3170.18 |
| बकाया अविवादित साझा लागत | 125.22 | 394.80 | (-)70.55 | 449.48 |

टिप्पणी : 1. (-) ज्यादा भुगतान दर्शाया है।

2. उपरोक्त आंकड़े एस.एस.एन.एन.एल. द्वारा भेजी गई जानकारी पर आधारित है।

## 2.7 विविध गतिविधियाँ:

### 2.7.1 सरदार सरोवर परियोजना के कार्यो से संबंधित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपदल, बाँध सुरक्षा पेनल इत्यादि की बैठकें

सचिव एसएससीएसी, सरदार सरोवर परियोजना के कार्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों के सदस्य/आमंत्रितगण हैं। वर्ष 2006-07 में आयोजित इन समितिओं की बैठकों तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के अधिकारियों द्वारा इनमें भाग लिये जाने का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है ।

### 2.7.2 सरदार सरोवर परियोजना स्थल पर विशिष्ट अतिथियों का दौरा

वर्ष 2006-07 के दौरान सरदार सरोवर परियोजना स्थल पर कई विशिष्ट अतिथियों ने दौरा किया । इनका विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है ।

# अध्याय- 3

# सचिवालय कार्यालय

## 3.1 प्रभारी अधिकारीगन

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्रीमती गौरी चटर्जी, मंत्रालय के सचिव होने के नाते सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के 1 अगस्त 2006 से अध्यक्षा हैं। वड़ोदरा स्थित एस.एस.सी.ए.सी मुख्यालय में मुख्य अभियंता के समकक्ष एवं केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी (वर्ग "क") सेवा के एक पूर्णकालिक सचिव हैं। वर्ष 2006-2007 के दौरान सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के सचिव का नियमित प्रभार श्री अरूण दत्त भारद्वाज ने दिसंबर तक एवं उसके बाद श्री का.रा. जोशी ने ये पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला ।

एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय का दिनांक : 31.03.2007 के लिए संगठन चार्ट परिशिष्ट-V में दिया गया है ।

## 3.2 सहायक कर्मचारी

एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय की अस्थायी स्थिति होने के कारण इसके अपने संवर्ग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है । वर्ग "क" के सभी पद केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी (वर्ग "क") संवर्ग से भरे जाते हैं एवं एक पद चौकीदार का छोड़कर बाकी सभी पद राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों या उसके उपक्रमों में कार्यरत लोगों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर साझेदार राज्यों यथाः गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए भरे जाते हैं । नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने भी एस.एस.सी.ए.सी. को एक आशुलिपिक की सेवाऐं ऋण के आधार पर उपलब्ध करायी है।

## 3.3 रिक्त पदो की स्थिति

सचिव, एस.एस.सी.ए.सी. के कार्यालय का प्रबन्धन करने के लिए नवम्बर 1984 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कुल 38 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । तद्पश्चात कुल पदों की संख्यॉं को समान रखते हुए, एक उप सचिव एवं एक आशुलिपिक ग्रेड "ध" के पदों के सृजन की स्वीकृति, सहायक सचिव एवं सहायक अभियंता के एक-एक पद समाप्त करने के बदले दिया गया था । कुल पदों की संख्यॉं को धटाकर 34 करते हुए, बाद में चार पदों (एस.ए.एस. लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक प्रति एक पद) का समर्पण भारत सरकार द्वारा लागू की गई 10% प्रतिशत वैधानिक कटौती के तहत की गई थी । स्वीकृत हुए कुल

34 पदों में से 17 पदें इस वितीय वर्ष मे परिचालित किये गये स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विस्तृत विवरण तालिका 3.1 मे दिया गया है ।

**तालिका 3.1**

**31 मार्च 2007 तक की स्थिति**

| श्रेणी<br>पदों का पदनाम | वेतनमान | स्वीकृत पद | | | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रारम्भिक पद | वर्ष **2006-07** के लिए अनुमोदित पद | वर्ष **2006-07** मे भरे गए पद | |
| वर्ग –क<br>सचिव<br>उपसचिव<br>सहायक सचिव | <br>18,400-500-22400<br>14,300-400-18300<br>10,000-325-15200 | <br>1<br>1<br>3 | <br>1<br>1<br>3 | <br>1<br>1<br>3 | <br>-<br>-<br>- |
| | **कुल योग** | **4** | **5** | **5** | **-** |
| वर्ग - ख<br>सहायक अभियंता<br>आशुलिपिक ग्रेड-I | <br>6,500-200-10,500<br>5,500-175-9000 | | | | |
| | **कुल योग** | **4** | **1** | **1** | **-** |
| वर्ग - ग<br>प्रारूपकार ग्रेड- II<br>उच्च श्रेणी लिपिक<br>आशुलिपिक ग्रेड डी<br>निम्न श्रेणी लिपिक | <br>5500-175-9000<br>4000-100-6000<br>4000-100-6000<br>3050-75-3950-80-4590 | <br>1<br>7<br>3<br>5 | <br>1<br>1<br>-<br>5 | <br>-<br>1<br>-<br>5 | <br>1<br>-<br>- |
| | **कुल योग** | **16** | **7** | **6** | **1** |
| वर्ग - ध<br>दफ्तरी<br>चपरासी<br>सफाईवाला<br>चौकीदार | <br>2610-60-3150-65-3540<br>2550-55-2660-60-3200<br>2550-55-2660-60-3200<br>2610-60-3150-65-3540 | <br>1<br>6<br>1<br>1 | <br>-<br>3<br>-<br>1 | <br>-<br>3<br>-<br>1 | <br>-<br>-<br>-<br>- |
| | **योग** | **9** | **4** | **4** | **-** |
| | **कुल योग** | **34** | **17** | **16** | **1** |

फुटनोट : 1) एसएससीएसी में एक आशुलिपिक ग्रेड डी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से ऋण के आधार पर कार्यरत है ।

2) इस कार्यालय में टंकण कार्य (हिन्दी), टंकण कार्य (अंग्रेजी), वाहन चालक, फाईल रखरखाव कार्य, द्धारपाल – 25 दिन /धंटा प्रतिदिन एवं सफाईवाला अंशकालिक 25 दिन संविदा पर कराये जाते है।

## 3.4 बजट एवं व्यय

नर्मदा जल विवाद अधिकरण फैसला के खंड XIV के उपखंड 16(10) के प्रावधान के अनुसार सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के सचिवालय द्वारा किये जाने वाले व्यय को सभी चार साझेदार राज्यों अथात-गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। प्रारंभ में यह व्यय जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय बजट में गैर योजना व्यय के रूप में

दर्शाया जाता है और बाद में इसकी प्रतिपूर्ति साझेदार राज्यों से समान रूप से की जाती है ।जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006-2007 के लिए एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय को कुल 49 लाख रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था । वर्ष 2006-2007 में इस सचिवालय द्वारा वास्तविक खर्च कुल 43.77 लाख रूपये किये गये ।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के मार्च 2007 अंत तक साझेदार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, सचिवालय द्वारा किये गये खर्च के साझा लागत की भुगतान की स्थिति तालिका 3.2 मे दी गयी है ।

**तालिका 3.2**
**एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय के मार्च 2007 अंत तक चुकाई गई साझा लागत की स्थिति**

(राशि रुपयों में )

| कम सं. | राज्य का नाम | वर्ष 2006-07 में प्रत्येक राज्य की बकाया साझा लागत | वर्ष 2006-07 में चुकाई गई साझा राशि | मार्च 2007 तक शेष वकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | 4377571 | 3283241 | 1094330 |
| 2 | मध्यप्रदेश | 2275757 | 2000000 | 275757 |
| 3 | महाराष्ट्र | 2253821 | 2384391 | (-)130570 |
| 4 | राजस्थान | 2375321 | 2505991 | (-)130670 |
| | **योग** | **11282470** | **10173623** | **1108847** |

(-) अतिरिक्त भुगतान

## 3.5 हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

भारत सरकार के राजभाषा नीति के अनुसार सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, सचिवालय द्वारा अधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 एवं उनके अंतर्गत निहित नियमों के विभिन्न प्रावधानो को कियान्वित करने के प्रयास किये गये। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर सिर्फ हिन्दी में भेजे गये ।इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथासंमव कार्यालय के कार्यो को हिंदी मे करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय के लगभग सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी मे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हैं ।वर्ष 2006-2007 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें एवं राजभाषा पर तीन कार्यशालायें आयोजित की गयी । 15 सिंतबर को कार्यालय परिषर में हिंदी दिवस मनाया गया ।रिपोटिंग वर्ष मे 77 प्रतिशत कार्य हिंदी मे किये गये ।

## 3.6 प्रशिक्षण गतिविधियों

वर्ष 2006-2007 के दौरान एस.एस.सी.ए.सी. के अधिकारियो ने अनेक गोष्ठियों, कार्यशालाऐं, सम्मेलनों एवं अल्पावाधि पाठ्यक्रमों इत्यादि मे भाग लिया ।सहभागिता का विस्तृत विवरण तालिका 3.3 में दी गई है ।

**तालिका- 3.3**

| कम सं. | अधिकारी का नाम पदनाम | कार्यक्रम | स्थान | तिथियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेश कुमार सहायक सचिव | हिन्दी कार्यशाला | सोलन (हि.प्र.) | 26-28 अप्रैल 2006 |

## 3.7 सर्तकता एवं अनुशासनिक मामले

श्री जर्नादन बाबू. आर., उप सचिव इस वर्ष के लिए सर्तकता अधिकारी थे ।सभी अधिकारियों ने अपने वार्षिक संपत्ती विवरण को निर्धारित समय पर जमा करा दिया। इस वर्ष के दौरान एस.एस.सी.एस.सी. के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी से संबधित कोई सर्तकता और/अथवा अनुशासिक प्रकरण प्राप्त अथवा लम्बित नहीं हैं ।एस.एस.सी.एस.सी. कार्यालय में 6 से 10 नवम्बर 2006 तक सर्तकता सप्ताह मानाया गया । आम जगहों पर बैनर एवं पोस्टरें लगायी गई और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गयी।

## 3.8 लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत मामले

श्री जर्नादन बाबू आर., उप सचिव को सरदार सरोवर निर्माण सलाकार समिति का निदेशक (लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत) नामांकित किया गया। वर्ष के दौरान इस कार्यालय को कोई भी लोक शिकायत निवारण का मामला प्राप्त नहीं हुआ ।प्रतिवेदन वर्ष के दौरान इस कार्यालय को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के नाम एक कर्मचारी शिकायत निवारण का मामला प्राप्त हुआ।

## 3.9 अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/जन जाति के कल्याण के लिए, श्री जर्नादन बाबू आर., उप सचिव को वर्ष के दौरान एस.एस.सी.ए.सी. का सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया । इस वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत का मामला प्राप्त नहीं हुआ ।

## 3.10 कौमी एकता सप्ताह

एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय द्वारा 19 से 25 नवम्बर 2006 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह में सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अखण्डता शपथ दिलायी गयी ।कार्यालय परिषर में कौमी एकता के संदेश को प्रदर्शित करते हुए द्विभाषीय पोस्टरों का भी प्रदर्शन किया गया ।

## 3.11 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियाँ

एस.एस.सी.ए.सी. सचिवालय एक अस्थायी एवं छोटा सा सचिवालिय संगठन है जो सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्यों के निरीक्षणात्मक कार्य के लिए बनाया गया था । वर्ग "क" के सभी पद केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी सेवा (वर्ग "क") में संवर्गित हैं एवं ये पद जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण के आधार पर भरे जाते हैं तथा एवं वर्ग "ख","ग", एवं "घ" के पद राज्य/केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं । प्रतिभागियों को प्रतिनियुक्ति पर चयनित करते समय अनुसुचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/औरत/विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता के कोई अलग से बजट प्रावधान निश्चित नहीं को गई है ।

## 3.12 कम्प्यूटरीकरण

इस सचिवालय मे सभी अधिकारियों के डेस्क पर कम्प्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है । कार्यालय का कार्य विस्तृत रूप से स्वचालित है । कार्यालय का अपना वेब साइट www.sscac.gov.in है ।

## 3.13 सूचना का अधिकार अधिनियम

इस कार्यालय की सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिकारिक वेब साइट www.sscac.gov.in पर अक्तुबर 2005 से उपलब्ध करा दी गई है । प्रतिवेदन अवधि के दौरान श्री अरूण दत्त भारद्वाज, सचिव को सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का अपील प्राधिकारी एवं श्री के. के. साहा, सहायक सचिव को एस.एस.सी.ए.सी. का जन संपर्क अधिकारी नामित किया गया है ।

## 3.14 नागरिक चार्टर

वर्ष के दौरान इस कार्यालय का नागरिक चार्टर अधिकारी वेब साइट www.sscac.gov.in पर डाल दिया गया ।

*******